आरई-9

विद्या वाचस्पति पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विनियम

[दिनांक 01.12.2017 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 29वीं बैठक में संकल्प सं ईसी 29.05.1 (i) द्वारा अनुमोदित]

(अध्यादेश ओसी-7 के अधीन)

1. प्रस्तावना :

सिक्किम विश्वविद्यालय विद्या वाचस्पति डिग्री प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों के साथ-साथ अंतर्विषयक अध्ययन में भी शोध पाठ्यक्रम संचालित करेगा। किसी विभाग में पीएचडी स्तर के शोधार्थियों को मार्गदर्शन करने के लिए योग्य सभी संकाय सदस्यों से गठित विभागीय शोध समिति (डीआरसी) चयन प्रक्रिया और साथ ही विभाग में विधिवत रूप से नामांकित किसी पीएचडी शोधार्थी की शोध प्रगति की भी निगरानी रखेगी।

2. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड :

विश्वविद्यालय के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को

क. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रासंगिक अथवा इससे संबन्धित किसी विषय में कम से कम 55.0% अंकों का औसत अथवा इसके समकक्ष सीजीपीए प्राप्त करनेवाले स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अपने वार्षिक पाठ्यक्रम विवरणिका में उल्लेखित किए जाने के अनुसार किसी विदेशी शैक्षिक संस्थानों, जो अपने गृह राष्ट्र में विधि के तहत स्थापित एवं अधिकृत अनुमोदित आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, से प्राप्त समकक्ष डिग्रीधारी होना अनिवार्य है। एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-कृमि लेयर)/विकलांग वर्ग के छात्रों के लिए राज्य/केंद्र सरकार के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार लागू उत्तीर्ण प्रतिशत और आरक्षण के अनुसार 5.0% की छुट स्वीकार्य होगी **अथवा**

ख. किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला/सरकारी/निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति होना अनिवार्य है और संबन्धित नियोक्ता द्वारा नामित अथवा प्रायोजित होना होगा, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति के पास स्नातकोत्तर डिग्री और सहायक निदेशक अथवा उससे अधिक रैंक के पद पर कार्यरत होना चाहिए **अथवा**

ग. असाधारण क्षमता रखनेवाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिन्होने औसत रूप से 55% अंकों के साथ स्नातक डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके पार स्नातक के बाद संबन्धित क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का अनुभव रहा है। संबन्धित डीआरसी आवेदकों के किस गुण को असाधारण क्षमता के रूप में माना जाए इस पर निर्णय लेगी **अथवा**

घ. चार्टर्ड लेखाकर संस्थान या भारतीय लागत लेखाकर संस्थान के किसी अध्येता/सहयोगी सदस्य होना होगा, वशर्ते कि आवेदक को व्यावसायिक अनुभव के साथ-साथ किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी के स्नातक होना चाहिए और कम से कम 5 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए **अथवा**

ङ. किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए जिन्होने राष्ट्रीय महत्व के किसी भी नए और अभिनव तकनीक विकसित की है अथवा विशेष उपकरणों अथवा तंत्र का डिजाइन किया और और बनाया है, जिसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्षम न्यायाधीशों द्वारा अभिनव प्रद्योगिकी के लिए मूल्यवान योगदान के रूप में स्वीकार किया जाता है **अथवा**

च. सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 55% अंकों के साथ एम. फिल डिग्री अथवा इसके समकक्ष ग्रेड विंदु औसत प्राप्त करनेवाले व्यक्ति होना चाहिए, जिसे एससी/एसटी/ओबीसी प्रार्थियों के लिए 5.0% अथवा समकक्ष जीपीए तक छुट दी जाएगी **अथवा**

छ. प्रथम श्रेणी के साथ बी.टेक डिग्री धारी और कम से कम 5 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव रखना चाहिए।

3. प्रवेश प्रक्रिया :

समान्यत: पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक सभी वर्गों के सभी पात्र प्रार्थियों को एक अनिवार्य परीक्षा में बैठना होगा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष में सामान्यत: मई/जून महीने में केवल एक वार के लिए आयोजित की जाएगी:

क. विश्वविद्यालय में संचालित पीएच.डी. पाठ्यक्रमों के सभी दाखिला एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा जो एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।

ख. जेआरएफ़/यूजीसी-सीएसआईआर-नेट (जेआरएफ़/आईसीएआर-नेट/डीबीटी-नेट/स्लेट/गेट सहित) सहित यूजीसी-नेट उत्तीर्ण प्रार्थी, शिक्षक अध्येता और/अथवा एम. फिल डिग्री धारी प्रार्थियों को लिखित परीक्षा में बैठने की छुट दी जाएगी। हालांकि, ऐसे प्रार्थियों को वैयक्तिक साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।

ग. जो प्रार्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे केवल उन प्रार्थियों को ही वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए योग्य माना जाएगा। प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम विवरणिका प्रकाशित होने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा एक नून्यतम उत्तीर्ण अंक (50.0% से कम नहीं), जो भी उचित समझा जाए, निर्धारित किया जाएगा।

घ. हालांकि प्रवेश के लिए योग्यता सूची केवल वैयक्तिक साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

ङ. अंक बराबर होने की स्थिति में संबन्धित प्रार्थी की योग्यता परीक्षा के अंकों को माना जाएगा।

4. प्रवेश परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया:

क. लिखित परीक्षा :

i. सामान्यत: लिखित परीक्षा 90 मिनट की अवधि के लिए होगी जिसके लिए संबंधित विभाग पेपर तैयार करेगा जिसे 50 अंकों के लिए मूल्यांकित किया जाएगा और विभागीय शोध समिति (डीआरसी) लिखित परीक्षा प्रश्न-पत्र में पूछे जानेवाले सवालों की प्रकृति और संख्या का निर्धारण करेगी।

ख. साक्षात्कार :

i. वैयक्तिक साक्षात्कार का मूल्यांकन कुल 50 अंकों के लिए किया जाएगा।

ii. साक्षात्कार आयोजित करने के लिए कम से कम तीन (3) सदस्यों को शामिल करते हुए एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिनमें से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

iii. किसी विभाग के मामले में जहां विभागाध्यक्ष/प्रभारी उपलब्ध नहीं है, वहाँ संबन्धित विद्यापीठ के डीन साक्षात्कार पैनल के कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे।

iv. अगर, किसी विशेष विभाग में पैनल में बैठन के लिए तीन योग्य सदस्यों से कम होते है, तो विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी उसके बारे में विद्यापीठ के डीन को सूचित करेंगे, जो विधिवत रूप से पैनल बनाने के लिए विभाग को सक्षम बनाने हेतु विद्यापीठ के अंदर के उपयुक्त सदस्यों को नामित करेंगे।

v. यूजीसी द्वारा निर्धारित आवश्यक शिक्षण अनुभव के साथ पीएच.डी. डिग्री धारी संकाय सदस्य ही केवल ऐसे साक्षात्कार पैनल में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे।

5. प्रवेश प्रक्रिया :

केवल साक्षात्कार (ऐसे साक्षात्कार में बैठने के लिए योग्य होने के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) में प्रार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर एक योग्यता सूची बनाई जाएगी और उसे मूल्यांकन समाप्त होने के तुरंत बाद विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस अधिसूचना की एक प्रति (i) डीन, (ii) कुलसचिव, (iii) परीक्षा नियंत्रक और (iv) वित्त अधिकारी को भेजी जाएगी।

क. इस अधिसूचना के आधार पर चयनित प्रार्थियों को निर्धारित तिथि के अंदर निर्धारित शुल्कों का भुगतान करते हुए अस्थायी रूप से स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक होगा।

ख. अस्थायी पंजीकरण के लिए प्रार्थियों की ऐसी सूची तैयार करते समय विभाग को भारत सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखना होगा जो ऐसे चयन के समय लागू हो रही हो।

ग. अगर किसी नियोजित प्रार्थी को अस्थायी पंजीकरण के लिए चयन किया गया है तो उन्हें लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया हो कि उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के लिए एक सेमेस्टर और प्रयोगशाला आधारित विभागों के लिए दो सेमेस्टर के लिए अवकाश प्रदान किया गया है।

घ. अधिसंख्य सीटों के लिए प्रवेश दिलाये जानेवाले विदेशी प्रार्थियों को उपलब्ध सीटों में से अधिकतम 10.0% सीट आवंटित की जा सकती है। चूंकि, आम तौर पर विदेशी छात्रों के लिए यहाँ आना और लिखित परीक्षा-सह-साक्षात्कार में उपस्थित होना संभव नहीं है, इसलिए अगर विभागीय शोध समिति को उनके द्वारा प्रेषित कागजात संतोषजनक लगता है और विश्वविद्यालय के नियम एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में ही केवल ऐसे आवेदकों का चयन किया जा सकता है। अगर, विभागीय शोध समिति द्वारा उपयुक्त पाये गए ऐसे आवादकों की संख्या 10.0% की सीमा से अधिक है, तो विभागीय शोध समिति ऐसे आवादकों के शैक्षणिक अभिलेखों के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी।

ङ. विनिमय कार्यक्रम के तहत जब तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत सरकार की विशेष संस्तुति प्राप्त नहीं हो, तब तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और पाकिस्तान के प्रार्थियों को प्रवेश देने से बचा जाएँ। अगर प्रवेश के लिए चयन किया गया है तो उन्हें पाठ्यक्रम की पूरी अध्ययन अवधि के लिए वैध छात्र वीजा और साथ ही साथ एक प्रमाणपत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि वे किसी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं हैं और यह कि विश्वविद्यालय में उनके अध्ययन के लिए धन के स्रोत विधिवत रूप से अनुमोदित है, प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश के लिए अनुमति दी जाएगी। हालांकि, अगर आवश्यक छात्र वीजा प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है तो उनके निवेदन पर उन्हें अस्थायी प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

6. कोर्स वर्क:

पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने के बाद सभी प्रवेशकों के लिए 12 क्रेडिट के एक सेमेस्टर कोर्स वर्क करना अनिवार्य है। इन क्रेडिटों का वितरण निम्नप्रकार से किया जाएगा :

क. शोध क्रियाविधि के लिए चार (4) क्रेडिट। यह एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है और इसमें मात्रात्मक तकनीकों और कंप्यूटर के उपयोग के ज्ञान शामिल हैं।

ख. नए प्रवेशक द्वारा लिए शोध कार्य के क्षेत्रों में हाल कि प्रगति पर एक पेपर के लिए चार (4) क्रेडिट दिये जाएंगे।

ग. एक गैर व्याख्यान आधारित नहीं सिखाये गए पेपर के लिए चार (4) क्रेडिट दिये जाएंगे, जिसमें प्रार्थी साहित्य की समीक्षा करेगा और उनकी रुचि के किसी क्षेत्र में एक शोध प्रस्ताव तैयार करेगा और, सेमेस्टर के अंत में एक सेमिनार प्रस्तुत करेगा। इस पेपर में कोई सत्रीय परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और

न ही वहाँ पर कोई उपस्थिति की आवश्यकता होगी, किन्तु अन्य दो पेपरों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

घ. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.फिल डिग्री प्राप्त करने वाले प्रार्थियों को ही केवल पुन: कोर्स वर्क करने के लिए छुट दी जाएगी।

7. कोर्स वर्क का मूल्यांकन:

क. कोर्स वर्क का मूल्यांकन विभाग के संबन्धित संकाय सदस्यों द्वारा किया जाएगा। चयनित शोधार्थियों के लिए कोर्स वर्क के दौरान आलोचनात्मक सोच का विकास तथा शैक्षणिक भाषाओं में संवाद करने के कौशलों को सीखने का प्रयास करना वांछनीय है और यह ऐसे मूल्यांकन के लिए आधार बनाएगा।

ख. पंजीकरण के लिए योग्य होने के लिए एक छात्र को कोर्स वर्क में कम से कम 6.0 सीजीपीए अथवा इसके समकक्ष अंक, मामला जो भी हो, प्राप्त करना होगा, इसमें असफल होने पर छात्र को पाठ्यक्रम छोड़ना होगा अथवा बाद के किसी शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में पुन: प्रवेश करना होगा

ग. कोर्सवर्क में 'ए' अथवा 6.0 एसजीपीए प्राप्त करने में असफल होने वाले छात्रों को पेपर I अथवा पेपर II में से किसी एक पेपर को दुबारा देने के लिए लिए एक अतिरिक्त मौका दिया जा सकता है, बशर्ते कि वे ऐसा मौका प्रदान करने के लिए इस शर्त पर विधिवत आवेदन करें कि ऐसे निवेदन परीक्षा परिणाम की घोषणा होने की तिथि के कलेंडर महीने के अंदर ही किया जाए और परंतु इसके अलावा कि प्रार्थी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय निर्धारित किए जानेवाले आवश्यक शुल्कों का भुगतान करें।

घ. असफल छात्रों को डिग्री के लिए पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी किन्तु अगर निवेदन किया जाता है तो उन्हें कोर्स वर्क में प्राप्त वास्तविक ग्रेड अथवा एसजीपीए का उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा

ङ. केवल उन छात्रों को ही, जो पंजीकरण के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगा, नियमित शोधार्थियों के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी।

च. पंजीकृत शोधार्थी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जानेवाले फैलोशिप/छात्रवृत्ति आदि आहरण करने के लिए योग्य होंगे।

8. पंजीकरण प्रक्रिया :

क. किसी पंजीकृत पीएच.डी. शोधार्थी सामान्यत: कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र होगा। संबन्धित पर्यवेक्षक शोधार्थी की उपस्थिति बनाए रख सकते हैं किन्तु पंजीकृत पीएचडी शोधार्थियों के लिए 75% की अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता लागू नहीं होगी। अंशकालीन पीएचडी को हतोत्साहित किया जाता है और अगर किसी नियमित सेवारत प्रार्थी को प्रवेश दिया जाता है तो उन्हें प्रवेश के समय विभागाध्यक्ष/डीआरसी के स्वीकार्य अवकाश प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ख. सफलतापूर्वक कोर्स वर्क पूरा करनेवाले प्रार्थी को अपने प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद डीआरसी और अध्ययन बोर्ड और अंत में विद्यापीठ बोर्ड द्वारा उसकी विधिवत जांच और पुष्टि की जाएगी ताकि छात्र पंजीकरण की औपचारिकताओं को पूरा कर सकें।

ग. पंजीकरण औपचारिकताओं को अधिकतम तीन (3) सेमेस्टर की अवधि के अंदर पूरी की जानी होगी, ऐसा करने में विफल होने पर प्रार्थी को प्रस्तावित शोध कार्य के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असाधारण परिस्थिति में विधिवत समर्थित दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर कुलपति जमा करने के लिए

एक सेमेस्टर की अधिकतम समय-सीमा इस शर्त पर प्रदान कर सकते हैं कि ऐसी सिफ़ारिश डीआरसी के माध्यम से की जानी चाहिए।

9. पर्यवेक्षकों का आवंटन :

संबन्धित विभाग द्वारा प्रवेश लिए प्रत्येक प्रार्थी के लिए निम्नलिखितों का सख्ती से अनुपालन करते हुए पर्यवेक्षक का आवंटन किया जाएगा :

क. यूजीसी द्वारा संदर्भित सूचीबद्ध शोध-पत्रिकायों में कम से कम 5 शोध प्रकाशनों सहित विश्वविद्यालय के किसी भी नियमित प्रोफेसर/सह प्राध्यापक और पीएचडी डिग्रीधारी विश्वविद्यालय के किसी नियमित सहायक प्राध्यापक जिनके पास किसी विश्वविद्यालय अथवा शोध संस्थान अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कम से कम तीन वर्षों के पोस्टडॉक्टरल शोध/शिक्षण अनुभव है और यूजीसी द्वारा संदर्भित सूचीबद्ध शोध-पत्रिकायों में कम से कम दो शोध प्रकाशन हैं शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी।

ख. विश्वविद्यालय के किसी पूर्णकालिक नियमित शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे और बाह्य परीक्षकों इसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, सह-पर्यवेक्षकों को विश्वविद्यालय के अन्य विभागों अथवा यहाँ तक अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से अंतर्विषयक क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसे सह-पर्यवेक्षकों के पास उपर्युक्त पर्यवेक्षकों के जैसे अनुरूप योग्यता होना/किसी विश्वविद्यालय/संस्थान के वैज्ञानिक स्तर के समकक्ष स्तर का एक नियमित संकाय सदस्य होना होगा।

ग. किसी चयनित प्रार्थी के लिए पर्यवेक्षक का आवंटन विभागीय शोध समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसे आवंटन पर निर्णय लेते समय विभागीय शोध समिति इस विषय पर यूजीसी के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए संबन्धित संकाय सदस्यों के अंतर्गत उपलब्ध सीटों की संख्या, उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों और साक्षात्कार के दौरान प्रार्थी द्वारा दिखाये गए शोध रुचियों को ध्यान में रखेगी।

घ. ऐसे पर्यवेक्षकों के आवंटन किसी प्रार्थी अथवा किसी संकाय सदस्य की व्यक्तिगत पसंद पर नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु, अगर आवश्यकता है तो विभागीय शोध समिति एक संयुक्त पर्यवेक्षक को आवंटित करने का निर्णय भी ले सकती है, जो सामान्यत: विभाग के बाहर से होंगे किन्तु शोधार्थी द्वारा प्रस्तावित शोध क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करनेवाले होंगे।

ङ. विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी कोर्स वर्क के परिणाम घोषित होने की तिथि से एक महीने के अंदर पर्यवेक्षक का आवंटन सम्पन्न होना सुनिश्चित करेंगे।

च. अगर कोई शोधार्थी विभागाध्यक्ष को लिखित तौर पर विशेष कारण दर्शाते हुए आवंटित पर्यवेक्षक को बदलने के लिए निवेदन करते है तो ऐसे निवेदन के लिए विभागीय शोध समिति विभागाध्यक्ष द्वारा की जानी सिफ़ारिशों पर इस शर्त पर पर्यवेक्षक का परिवर्तन कर सकती है कि डीआरसी, अन्य संकाय सदस्यों के साथ संबन्धित पर्यवेक्षक प्रस्तुत किए गए कारणों से संतुष्ट है। हालांकि, शोधार्थियों को ऐसे विकल्प पूरे पाठ्यक्रम के दौरान केवल एक वार दिया जाएगा।

क. मूल पर्यवेक्षक के विश्वविद्यालय से इस्तीफा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उनकी सेवा समाप्त किए जाने या उनको सेवा से निलंबित किए जाने अथवा लंबे समय के लिए छुट्टी पर रहने की स्थिति में विभागीय शोध समिति किसी शोधार्थी के लिए उनके शोध कार्य के किसी भी चरण में अन्य पर्यवेक्षकों का आवंटन कर सकती है। डीआरसी के इस तरह के निर्णयों पर बाद में अध्ययन बोर्ड और विद्यापीठ बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना होगा।

ख. संकाय सदस्यों के निलंबन, बर्खास्तगी अथवा लंबी छुट्टी में जाने के कारण अचानक संकायों की कमी आ जाने की स्थिति में जहां ऐसे उद्देश्यों के लिए डीआरसी को पर्यवेक्षक को निर्धारित संख्या की सीमा से

अधिक प्रार्थियों को आवंटित करने के लिए विवश होना पड़े, ऐसी स्थिति को छोड़कर निर्धारित समय के दौरान एक पर्यवेक्षक निर्धारित पंजीकृत एम. फिल शोधार्थियों की यूजीसी निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों का पर्यवेक्षण नहीं करेंगे।

ग. एक पर्यवेक्षक को किसी डॉक्टरल शोधार्थी के पर्यवेक्षक के रूप में शोधार्थी शोध प्रबंध जमा करने की वास्तविक तिथि तक अथवा सेवानिवृत्ति के बाद छः महीने तक, जो भी पहले हो, कार्य जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। सेवानिवृत्त होनेवाले पर्यवेक्षकों के अंतर्गत किसी नए छात्रों को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. एक शिक्षक जो पीएचडी के मार्गदर्शन करने के लिए योग्य है किन्तु परिवीक्षा अवधि में हैं, को पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

ङ. ऐसे मामलों में भारत सरकार के संबन्धित नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक को अपने करीबी रिशतेदारों का मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. कार्य प्रगति की निगरानी :

क. पर्यवेक्षक उनके पर्यवेक्षण के अधीन शोधकार्य कर रहे प्रत्येक प्रार्थी द्वारा लिए गए शोध कार्य की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेंगे।

ख. एक पंजीकृत प्रार्थी को अपने कार्य की एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट को पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित करते हुए विभाग के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और प्रत्येक छः महीने में संबन्धित विभाग में 10-15 मिनट की मौखिक प्रस्तुति देनी होगी। निर्धारित समय पर लगातार दो बार ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होने पर किसी प्रार्थी को विभागीय शोध समिति की सिफ़ारिश पर कुलपति द्वारा विपंजीकृत किया जा सकता है।

ग. पर्यवेक्षक द्वारा बार-बार सतर्क किए जाने के बावजूद भी अगर शोधार्थी की ओर से कोई लापरवाही देखा जाए तो उस पर आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय शोध समिति को सूचित की जाएगी। परंतु, अगर डीआरसी को यह लगता है कि कोई प्रार्थी किसी वैध कारण के बिना ही अपनी शोध गतिविधियों का अनदेखा कर रहा है, तो प्रार्थी को एक चेतावनी दी जाएगी और उसे तीन महीने के लिए निगरानी में रखें जाएंगे। चेतावनी जारी करने के बाद तीन महीने पूरे होने पर डीआरसी निगरानी के अधीन की अवधि के दौरान प्रार्थी के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। अगर फिर भी विभागीय शोध समिति निरीक्षणाधीन अवधि के दौरान प्रार्थी के प्रदर्शन से असंतुष्ट रहती है तो समिति प्रार्थी को विपंजीकृत करने हेतु सिफ़ारिश कर सकती है। अगर सिफ़ारिश को विधिवत रूप से स्वीकार किया जाता है तो उस प्रार्थी का फैलोशिप को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

11. शोध प्रबंध की प्रस्तुति:

क. शोधार्थियों को पंजीकरण के बाद दो वर्ष पूरे होने पर और प्रवेश की तिथि से पाँच वर्ष पूरे होने पर अथवा उससे पहले शोध-प्रबंध जमा करने की अनुमति दी जाएगी। शोध प्रबंध को परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

ख. किसी विशेष परिस्थिति में कुलपति किसी शोध-छात्र को उनके शोध प्रबंध जमा करने के लिए निर्धारित पाँच वर्षों के बाद अधिकतम एक वर्ष तक की वर्धित समय की अनुमति दे सकते हैं किन्तु ऐसे शोधार्थियों के लिए अंतिम पंजीकरण की तिथि से 4 वर्ष के बाद यूजीसी-नेट फैलोशिप उपलब्ध नहीं होगी।

ग. एक पीएचडी प्रार्थी को शोध-प्रबंध जमा करने से पहले यूजीसी के संदर्भित सूचीबद्ध शोध-पत्रिकाओं में कम से कम एक शोध पत्र प्रकाशित करना होगा और किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार (प्रस्तुति का

प्रमाण प्रस्तुति प्रमाणपत्र और/अथवा सम्मेलन/सेमिनार की कार्यवाही में प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे) में भी दो पेपर प्रस्तुत करने होंगे। शोध-प्रबंध जमा करते समय संबन्धित शोधार्थी द्वारा प्रकाशित पेपरों के पुनर्मुद्रण, जहां भी उपलब्ध हो, प्रदान करना होगा और, यदि ऐसा पुनर्मुद्रण आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, तो कम से कम पेपर की स्वीकृति पत्र की एक प्रति जमा करना होगा।

घ. मूल्यांकन के लिए स्वीकार करने से पहले सभी शोध-प्रबंधों का नियमों के अनुसार अनिवार्य साहित्यिक परीक्षण होना होगा। शोध-प्रबंध जमा करने के समय शोध प्रबंध के साथ साहित्यिक चोरी परीक्षण प्रमाणपत्र सहित इस रिपोर्ट को भी जमा करना चाहिए जिसमें ये दर्शाता हो कि शोध प्रबंध में 20% से कम सहिष्णुता दर है और जिसमें किसी भी मानक साहित्यिक चोरी परीक्षण सॉफ्टवेर में प्रयोग किए गए सॉफ्टवेर का नाम का उल्लेख है और जिसमें प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है और साथ ही साथ पुस्तकलायाध्यक्ष द्वारा विधिवत परीक्षण किया गया है। अगर शोध प्रबंध साहित्यिक चोरी परीक्षण में विफल होता है तो इसे प्रार्थी को आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को शोध प्रबंध वापस करने की तिथि से तीन महीने के अंदर आवश्यक परिवर्तन करने के बाद शोध प्रबंध को पुन: जमा करने की अनुमति दी जाएगी। अगर प्रार्थी निर्धारित समय-सीमा के अंदर शोध प्रबंध को पुन: जमा करने के असफल होता है तो उस शोध प्रबंध वापस लिया जमझा जाएगा और उसके मूल्यांकन किए जाने के लिए किसी प्रकार की अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ङ. कुछ वास्तविक कठिनाइयों की स्थिति में पर्यवेक्षक और विभागाध्यक्ष/प्रभारी की लिखित सिफ़ारिशों के आधार पर विभागीय शोध समिति शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने की नियत तारीख से केवल दो सेमेस्टर की अधिकतम अवधि तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है और ऐसी वर्धित अवधि के लिए कुलपति के अनुमोदन हेतु सिफ़ारिश कर सकती है। हालांकि विश्वविद्यालय किसी भी स्थिति में ऐसी वर्धित अवधि के दौरान किसी प्रकार के फैलोशिप का भुगतान नहीं करेगा।

च. शोध प्रबंध समय पर (वर्धित समयावधि सहित, अगर कोई हो) जमा करने में विफल होने पर प्रार्थी का पंजीकरण स्वत: रद्द हो जाएगा और ऐसे मामले में वे डिग्री प्राप्त करने के लिए और योग्य नहीं रहेगा। ऐसे प्रार्थियों को डिग्री पाने के लिए नए सिरे से प्रवेश हेतु आवेदन करना होगा।

छ. शोध प्रबंध जमा करने की निर्धारित तिथि से कम से कम तीन महीने पहले प्रार्थी को एक पूर्व-प्रस्तुति सेमिनार देना होगा, जिसे प्रार्थी से प्राप्त लिखित निवेदन और पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत रूप से सिफ़ारिश पर विभाग के अध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा। पूर्व-प्रस्तुति सेमिनार को पर्यवेक्षक, विभाग के अंदर से एक आंतरिक विशेषज्ञ और उसी विद्यापीठ के अंतर्गत किसी एक संबन्धित विभाग से एक बाह्य विशेषज्ञ से गठित समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा और इस समिति की मूल्यांकन रिपोर्ट का अभिलेख रखा जाएगा। संगोष्ठी के दौरान की गई चर्चा के प्रकाश में शोधार्थी द्वारा अपने शोध में उपयुक्त संशोधन किया जाए।

ज. शोध-प्रबंध की चार हार्ड बाउंड और साफ-सुथरे टाइप-लिखित प्रतियों के साथ-साथ सीडी/डीवीडी में उसकी अनुरूप संख्या में सॉफ्ट प्रतियाँ जमा करनी होगी।

झ. अंतिम शोध-प्रबंध निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है :

i. प्रार्थी का एक घोषणा पत्र जिसमें यह घोषित किया जाना है कि शोध-प्रबंध शोधार्थी का मौलिक कार्य है और उसे इस विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय में किसी भी डिग्री के लिए पहले प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii. प्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक साहित्यिक चोरी परीक्षण प्रमाणपत्र।

iii. पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

iv. पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाणपत्र।

v. वित्त विभाग से अदेय प्रमाणपत्र।

vi. संबन्धित हॉस्टल वार्डन से अदेय प्रमाणपत्र, अगर लागू हो।

ञ. शोध प्रबंध के हार्ड बाउंड टाइप प्रति निम्नलिखित विशेषताओं के अनुरूप होनी पड़ेगी :

i. इसे ए4 आकार के पेपरों में टाइप किया जाना चाहिए। .

ii. प्रयोग किए गए टाइप फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, 12 पॉइंट की होगी और पाठ का मुद्रण डबल स्पेस के साथ पेपर के केवल एक तरफ में किया जाना होगा।

iii. पेपर की बायीं तरफ डेढ़ इंच की मार्जिन रखनी होगी, जबकि पेपर के दायीं, ऊपर और नीचे की तरफ एक इंच की मार्जिन रखनी होगी।

iv. शोध-प्रबंध का अग्रभाग में, ऊपर से नीचे तक, प्रस्तुति वर्ष, प्रार्थी के पारिवारिक नाम तथा पीएचडी शब्द का संकेत दिया जाएगा।

v. आवरण पृष्ठ में सबसे ऊपर (शोध प्रबंध का शीर्षक) होगा और उसके बाद एक पंक्ति होगी "(शोध प्रबंध प्रस्तुत है) (सिक्किम विश्वविद्यालय) को (लोगो) (आंशिक पूर्ति की आवश्यकता के लिए), (विद्या वाचस्पति उपाधि), द्वारा (प्रार्थी का नाम), (विभाग का नाम), (विद्यापीठ का नाम), प्रस्तुति का (माह और वर्ष)। अनुलग्नक में नमूना आवरण पृष्ठ)।

vi. अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा से संबंधित शोध-प्रबंध को छोड़कर शोध-प्रबंध अंग्रेजी में लिखा जाएगा।

12. परीक्षकों की नियुक्ति

क. पर्यवेक्षक निर्धारित प्रपत्र में संबंधित विद्यापीठ के डीन के माध्यम से कुलपति के समक्ष प्रासंगिक कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता रखनेवाले और कम से कम सह प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद (वैज्ञानिक ई, अगर किसी शोध संस्थान में कार्यरत हैं) के स्तर पर कार्यरत पाँच बाह्य परीक्षकों का एक पैनल प्रस्तुत करेंगे।

ख. पैनलबद्ध परीक्षकों को पीएचडी डिग्री सहित कम से कम सह प्राध्यापक के स्तर के होना अनिवार्य होगा। पर्यवेक्षक सभी प्रस्तावित परीक्षकों के पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर सहित सम्पूर्ण और अद्यतन डाक-पता प्रस्तुत करेंगे।

ग. पीएच.डी.शोध प्रबंध को पर्यवेक्षक सहित तीन परीक्षकों द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा।

घ. सामान्यत: पैनल के परीक्षकों को देश के भीतर से चयन किया जाएगा। अगर पर्यवेक्षक शोध प्रबंध की एक प्रति विदेश भेजना वांछनीय समझते हैं, तो वे विदेशी विशेषज्ञों का एक पृथक पैनल कुलपति के विचारार्थ प्रस्तुत करें, किन्तु ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का व्यय शोधार्थी द्वारा वहन किया जाना होगा।

13. मूल्यांकन:

क. परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तिथि से पंद्रह दिन के अंदर कुलपति द्वारा अनुमोदित पैनलबद्ध सूची में से प्रासंगिक परीक्षकों के साथ संपर्क स्थापित करेगा और उनसे स्वीकृति लेगा।

ख. अगर किसी परीक्षक द्वारा परीक्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की पैनलबद्ध सूची में से अगले सदस्य से संपर्क किया जाएगा।

ग. एकबार परीक्षक द्वारा परीक्षण प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय परीक्षकों से स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर शोध प्रबंध को अन्य समर्थित दस्तावेजों, जैसे कि मूल्यांकन प्रपत्र, पारितोषिक प्रपत्र आदि के साथ परीक्षक को अग्रेषित करेगा।

घ. शोध प्रबंध प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में सभी तरह से पूर्ण रिपोर्ट की हार्डकॉपी प्रेषित करने हेतु परीक्षक से निवेदन किया जाएगा। अंतिम तिथि समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से परीक्षकों को अनुस्मारक भेजा जाए।

ङ. अगर किसी परीक्षक समय-सीमा के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो परीक्षा नियंत्रक समय-सीमा को और 15 दिन बढ़ाकर अंतिम अनुस्मारक भेजेंगे। फिर भी अगर कोई परीक्षक रिपोर्ट भेजने में सक्षम नहीं होता है तो परीक्षा नियंत्रक शोध-प्रबंध के मूल्यांकन के लिए अनुमोदित पैनल में से अगले परीक्षक को आमंत्रित करेंगे।

च. अगर बाह्य परीक्षक एक प्रतिकूल रिपोर्ट भेजते हैं तो परीक्षा नियंत्रक कुलपति के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शोध-प्रबंध को परीक्षकों की अनुमोदित पैनल में से अन्य परीक्षक को भेजेंगे और इस द्वितीय परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रतिकूल होती है तो प्रार्थी को अनुत्तीर्ण समझा जाएगा।

छ. यदि परीक्षकों में से एक ने डिग्री प्रदान करने के लिए सुझावों के साथ शोध प्रबंध का किसी एक अंश अथवा पूरा शोध प्रबंध में संशोधन करने हेतु सिफ़ारिश की है तो, प्रार्थी को संबन्धित पर्यवेक्षक के परामर्श से शोध-प्रबंध को संशोधित करना होगा और उसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा सूचित की जानेवाले तिथि से छः महीने की अवधि के अंदर पुनः जमा करना होगा। इसके बाद शोध-प्रबंध को पुनः उस परीक्षक के पास उनके अंतिम अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा जिन्होने इसमें संशोधन करने का सुझाव दिया था।

13. मौखिक एवं शोध प्रबंध की रक्षा:

क. दोनों परीक्षकों से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय संबंधित पर्यवेक्षक के परामर्श से मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा।

ख. मौखिक परीक्षा का आयोजन करने का दायित्व सौंपी गई मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष के रूप में संबंधित पर्यवेक्षक, बाह्य परीक्षक और विद्यापीठ के डीन द्वारा नामित एक संकाय सदस्य शामिल होंगे। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक को सूचित करते हुए समिति में एक सदस्य नामित करने हेतु डीन को निवेदन करेंगे।

ग. परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय बाह्य परीक्षकों से कम से कम तीन संभव तारीख लेगा, जिसमें परीक्षक मौखिक की कार्रवाही में भाग ले सकें और संबंधित विभागाध्यक्ष को उनकी तरफ से आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना प्रेषित करेगा।

घ. समिति के अध्यक्ष और नामित सदस्यों के परामर्श से विभागाध्यक्ष मौखिक आयोजित करने के लिए वास्तविक तिथि निर्धारित करेंगे।

ङ. मूल्यांकन समिति अपनी रिपोर्ट को संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से उसी दिन परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में जमा करेगी, जिस दिन मौखिक आयोजित किया गया था।

च. संबंधित विभाग द्वारा कम से कम सात दिन पहले मौखिक के आयोजन के दिन, तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित किए जाएंगे। ऐसी सूचना विद्यापीठ के अंतर्गत सभी विभागों को भेजी जाएगी और उसे विश्वविद्यालय की वैबसाइट में भी अपलोड की जाएगी।

छ. सफल बचाव के मामले में परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय अंतिम परिणाम संकलित करेगा और उसे मौखिक सहित सभी रिपोर्टों के साथ कुलपति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। अनुमोदन प्राप्त होने पर परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय औपचारिक रूप से परिणामों को अधिसूचित करेगा।

ज. अगर बचाव संतोषजनक नहीं है तो समिति उसके कारणों को अभिलेखित करेगी और प्रथम मौखिक की तिथि से 30 दिन के बाद दोबारा मौखिक आयोजित करने के लिए इस शर्त पर एक उपयुक्त तिथि का सुझाव देगी कि निर्धारित की गई तिथि अधिक से अधिक दो महीने की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

झ. अगर फिर भी द्वितीय वचाव भी संतोषजनक नहीं होता है तो, समिति की टिप्पणियों को कुलपति के समक्ष इस विषय पर उनके मार्गदर्शन तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश के लिए प्रस्तुत करेगी।

14. विश्वविद्यालय में संग्रह स्थल:

मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन और डिग्री की अधिसूचना जारी होने के बाद विश्वविद्यालय डी-स्पेस रिपोजिटोरी में शोध-प्रबंध को अपलोड करेगा और शोध-प्रबंध की एक हार्ड कॉपी अभिलेख और संदर्भित प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में भेजी जाएगी।

15. डिग्री प्रदान:

क. परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से सात दिनों के अंदर आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम की अधिसूचना में ऐसी अधिसूचना की तिथि, प्रार्थी का नाम, प्रार्थी की पंजीकरण संख्या, शोध-प्रबंध के शीर्षक, प्रदान की गई डिग्री, पर्यवेक्षक का नाम, संयुक्त पर्यवेक्षक (कों) का नाम, अगर कोई हो, विभाग का नाम एवं विद्यापीठ का नाम उल्लेख किए जाएंगे। अधिसूचना को भी विश्वविद्यालय की वैबसाइट में अपलोड किया जाएगा।

ख. औपचारिक डिग्री केवल उसी दिन प्रदान की जाएगी जिस दिन विश्वविद्यालय अपना अगला दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा।

16. कठिनाइयों का निवारण:

उपर्युक्त में किसी बात के होते हुए, कुलपति के पास उपर्युक्त दिशा-निर्देशों, जो उन्हे सही लगता है, की व्याख्या करने में आनेवाली किसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी और तदनुसार कुलपति उपयुक्त कार्रवाई लेंगे।

xXx

[शोध-निबंध/शोध-प्रबंध का शीर्षक]

एम.फिल के मामले में **शोध प्रबंध** के स्थान पर **शोध निबंध** का प्रयोग करें

एक शोध-प्रबंध

सिक्किम विश्वविद्यालय

को

आवश्यकता की आंशिक पूर्ति में

विद्या वाचस्पति उपाधि हेतु प्रस्तुत

एम.फिल के मामले में, **दर्शन निष्णात** शब्द का प्रयोग करें

द्वारा

[प्रार्थी का नाम]

[विभाग का नाम]

[विद्यापीठ का नाम]

[माह वर्ष] — **जमा करने का माह एवं वर्ष**

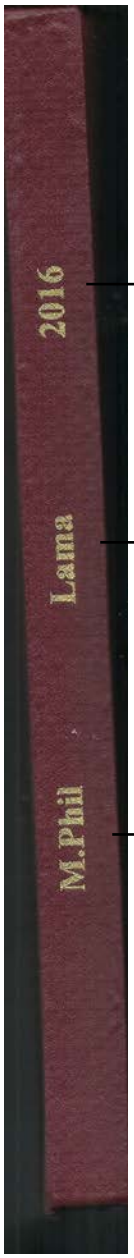

जमा करने का वर्ष

प्रार्थी का पारिवारिक नाम

पीएचडी के मामले, **पीएचडी** शब्द प्रयोग करें